राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक–एफ.6(179)परि/एचक्यू./3 जे जयपुर, दिनांकः–1.7.2003

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं. 11) की धारा 4 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ. 6(179)परि/एचक्यू/95/3 एच, दिनांक 1.3.2002 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी में :–

विद्यमान क्र. सं.1 और उसकी प्रविष्टियों तथा उसके परन्तुक (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

सारणी

क्र. सं.	मोटर यान के वर्ग का वर्णन	कर की वार्षिक दर
1	2	3
1.	यात्री यान	
	(क) 4,00,000/–रु. तक की लागत वाले यान	यान की लागत का 2.25%
	(ख) 4,00,000/–रु. से अधिक की लागत वाले यान	यान की लागत का 3.5%
	(ग) 4,00,000/–रु. तक की लागत वाली चैसिस	चैसिस की लागत का 2.5%
	(घ) 4,00,000/–रु. से अधिक की लागत वाली चैसिस	चैसिस की लागत का 5.0%

परन्तु ऐसे यात्री यान, प्रति वर्ष अधिकतम 12000/– रु. के अध्यधीन रहते हुए, ऊपर स्तम्भ सं. 3 में विनिर्दिष्ट दर के 1/5 के हिसाब से कर संदत्त करेंगे, यदि.–

(i) मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन किसी गैर–अस्थायी परमिट के अन्तर्गत आते हैं या पुराने गैर–अस्थायी परमिट के रद्दकरण के पश्चात् 60 दिन के भीतर–भीतर नया गैर–अस्थायी परमिट प्राप्त कर लेते हैं;

(ii) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 87 के अधीन जारी किये गये किसी अस्थायी परमिट के अन्तर्गत आते हैं;

(iii) मोटर यान तिपहियां ऑटोरिक्शा को सम्मिलित करते हुए मोटर कैब, मैक्सी कैब या निजी सेवा यान के रुप में रजिस्ट्रीकृत है;

(iv) राजस्थान राज्य में पहली बार रजिस्ट्रीकृत है या अन्य राज्यों के यात्री यान की दशा में जब स्वामित्व का अन्तरण या पते में परिवर्तन इस राज्य में हो गया हो और यान रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र में स्वामित्व के अन्तरण या, यथास्थिति, पते में परिवर्तन की तारीख से 120 दिन के भीतर–भीतर गैर अस्थायी परमिट के अन्तर्गत आता है, या

(v) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 88 (8) के अधीन विशेष परमिट इस शर्त के अध्यधीन प्राप्त करता है कि इन परमिटों के अधीन वर्ष में कम से कम 60 दिन वह राजस्थान में चलता है:

परन्तु यह और कि वे यान, यदि कम्प्रेस्ड नैच्यूरल गैस (सी एन जी) या लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (एल पी जी) द्वारा प्रचालन को सुकर बनाने वाली असली उपस्करों से विनिर्मित हैं, ऊपर स्तम्भ सं. 3 में विनिर्दिष्ट दर के 1/8 के हिसाब से कर संदत्त करेंगे ।

2. विद्यमान क्र. सं. 3 के पश्चात् और विद्यमान 'टिप्पणी' के पूर्व निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

''परन्तु क्र. सं.2 और क्र. सं. 3 पर उल्लिखित यानों की दशा में कर की रकम एक मोटर यान के लिये 25000/- रु. (पच्चीस हजार) से अधिक नहीं होगी ।''

3. इस प्रकार जोड़े गये परन्तुक के पश्चात् और विद्यमान 'टिप्पणी' के पूर्व नया क्र.सं.4 और उसकी प्रविष्टियां अन्तः स्थापित की जायेंगी, अर्थात् :-

''4 माल यान के रुप में प्रयुक्त ट्रेलर ट्रेलर की लागत का 4%''

राज्यपाल के आदेश से,
शासन उप सचिव